

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेरराजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांगकर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

- 1 नाम कर्मचारी मय पद
 2 पिता का नाम
 3 कार्यरत स्थान
 विभाग / कार्यालय / विधालय
 4 जन्मतिथि
 5 नियुक्ति तिथि
 6 धारित पद स्थायी / अस्थायी
 7 वेतन श्रृंखला एवं वेतन
 8 स्थायी पता

 9 विकलांग होने का विवरण
 “अ” कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है
 “ब” विकलांगता का विवरण
 10 प्रमाण—पत्र
 मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है
 एवं अन्य किसी स्त्रोत से विकलांगता / वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम

पद

कार्यरत स्थान

- 11 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक की अभिशंषा

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील